

एसईसी-1/187(2)/2026/2950

दिनांक: 30 जुलाई, 2026

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय : सहायक कंपनी के निगमन की सूचना।

महोदय/ महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के साथ पठित अनुसूची-III के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि कुकशी अलीराजपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन : U42202DL2026GOI469052) का निगमन, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल" - आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार उक्त कंपनी, आरईसी लिमिटेड की भी सहायक कंपनी है। अन्य अपेक्षित विवरण इसके साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते आरईसी लिमिटेड
Digitally Signed

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन
अधिकारी

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

अनुलग्नक-1

“कुकशी अलीराजपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड” नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निगमन।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	लक्षित इकाई का नाम तथा उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे आकार, टर्नओवर आदि।	नाम : कुकशी अलीराजपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड अधिकृत पूंजी : ₹5,00,000/- भुगतान की गई पूंजी : ₹5,00,000/- टर्नओवर : लागू नहीं (यह एक नव-निगमित कंपनी है तथा इसका व्यवसाय अभी प्रारंभ होना शेष है)। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 9 फ़रवरी, 2026 के आदेश के माध्यम से एक अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना आवंटित की थी, जिसके अंतर्गत कुकशी/अलीराजपुर क्षेत्र में नए ईएचवी उपकेंद्रों तथा संबद्ध पारेषण लाइनों की स्थापना द्वारा राज्यांतर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण के उद्देश्य से आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, कुकशी अलीराजपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड का निगमन 29 जुलाई, 2026 को किया गया है। शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशा-निर्देशों के अनुसार सफल बोलीदाता के चयन के उपरांत, उक्त कंपनी को उसकी समस्त परिसंपत्तियों एवं देनदारियों सहित सफल बोलीदाता के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

2.	क्या यह अधिग्रहण संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आएगा तथा क्या प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह/समूह कंपनियों का अधिग्रहित की जा रही इकाई में कोई हित है? यदि हां, तो हित की प्रकृति एवं उसका विवरण तथा क्या यह लेनदेन "स्वतंत्र संव्यवहार" आधार पर किया गया है।	कुकशी अलीराजपुर टांसमिशन लिमिटेड, आरईसीपीडीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः यह आरईसी लिमिटेड का संबंधित पक्ष है। प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह अथवा समूह कंपनियों का कुकशी अलीराजपुर टांसमिशन लिमिटेड में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक के अतिरिक्त कोई हित नहीं है।
3.	अधिग्रहित की जा रही इकाई जिस उद्योग से संबंधित है।	विद्युत क्षेत्र
4.	अधिग्रहण का उद्देश्य एवं प्रभाव (जिसमें सूचीबद्ध इकाई के मुख्य व्यवसाय से भिन्न व्यवसाय वाली लक्षित इकाई के अधिग्रहण के कारणों के प्रकटीकरण सहित, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं)।	कंपनी का निगमन कुकशी/अलीराजपुर क्षेत्र में नए अतिरिक्त उच्च वोल्टता (ईएचवी) उपकेंद्रों तथा संबद्ध पारेषण लाइनों की स्थापना के माध्यम से राज्यांतर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढीकरण के उद्देश्य से किया गया है।
5.	अधिग्रहण हेतु अपेक्षित किसी भी सरकारी अथवा विनियामकीय अनुमोदन का संक्षिप्त विवरण।	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 9 फ़रवरी, 2026 को जारी आदेश के अनुसरण में निगमित, जिसके अंतर्गत आरईसीपीडीसीएल को बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में नामित किया गया है।
6.	अधिग्रहण के पूर्ण होने की संभावित समय-सीमा।	लागू नहीं।
7.	प्रतिफल की प्रकृति - नकद प्रतिफल अथवा शेयर विनिमय (शेयर स्वेप) तथा इसका विवरण।	नकद प्रतिफल के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का 100% अभिदान।
8.	अधिग्रहण की लागत अथवा वह मूल्य जिस पर शेयर अधिग्रहित किए गए हैं।	अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयरों की 100% अभिदायिता।
9.	अधिग्रहीत शेयरधारण/नियंत्रण का प्रतिशत तथा/या अधिग्रहीत शेयरों की संख्या	100%
10.	अधिग्रहित की गई इकाई की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण, जिसमें अधिग्रहित उत्पादों/व्यवसाय की प्रकृति, निगमन की तिथि, पिछले 3 वर्षों के कारोबार का इतिहास, वह देश जहां अधिग्रहित इकाई की उपस्थिति है तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी (संक्षेप में) शामिल है।	आरईसीपीडीसीएल, अन्य बातों के साथ, विद्युत मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर आवंटित स्वतंत्र अंतर-राज्यीय एवं राज्यांतर्गत पारेषण परियोजनाओं के लिए शुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु

		"बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)" के रूप में कार्य करता है।
--	--	--